अनकोसिंह पुत्र सरदार
जाति गूर्जर निवासी
निसूरा
तहसील - टोडाभीम

बनाम

सिताराम पुत्र जगनसहाय
मदन पुत्र सुन्दर
रामफल जाति गूर्जर निसूरा
तहसील - टोडाभीम

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा — मुकदमा नं० 112 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल पेश हुआ — हमारे — व हाजिरी श्री नरेश चन्द शर्मा — मिन्जानिब मुद्दई वकील —
निम्नलिखित फैसला पेश होकर सुना दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख.नं. 423/836 रकबा 0.02 है० ग्राम निसूरा तहसील टोडाभीम वादी के कब्जे काश्त की में अजाहन मदाखलत नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे ऐसा कोई कार्य नहीं करे ताकि किसी अन्य के नाम जिससे वादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

खर्च — मुद्दई — मय — जो इस मुकदमे के मय सूद ब्याज — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक — का अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09 माह 05 सन् 2017 [illegible] को जारी की गई।

दस्तखत [illegible] टोडाभीम (करौली)
ओहदा —

मुहर

मुद्दई	रकम	पैसे	मुद्दालेह	रकम	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प [illegible]			तलबाना गवाह		
तलबाना गवाह			खर्च गवाहान		
खर्च गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 112/16

तारीख रजू :– 05.10.2016

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य आर.ए.एस.

उनवान

जनकसिंह पुत्र सरदार, जाति गुर्जर, निवासी निसूरा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

बनाम

1 विश्राम पुत्र गंगासहाय } जाति गुर्जर, निवासी निसूरा तह0 टोडाभीम
2 मदन पुत्र सुन्दर } जिला करौली राज0।

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 वादी की ओर से:– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 प्रतिवादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही

निर्णय दिनांक– 09.05.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा0 4231/838 रकबा 0.02है0 स्थित ग्राम निसूरा तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। प्रतिवादीगण लठैत, गुण्डागर्द गिरोह बंद व्यक्ति वाले व पैसे वाले व्यक्ति है। जिन्होने एक गिरोह गठित कर रखा है तथा वे वादीगण को समस्त आराजी से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है। वाका दिनांक 30.09.2016 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपनी आराजी की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादीगण एक टैक्टर ट्रोली लेकर आये तथा ट्रोली से पत्थर डालने लगे वादी द्वारा उन्हे समझाया कि तुम ऐसा क्यो कर रहे हो। इस आराजी से तुम्हारा कोई संबंध नही है। फिर भी इसमें क्यो पत्थर डाल रहे हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

इतना सुनते ही प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे कि उक्त आराजी हमारे पजन में है। तुम्हे कुछ चाहिए तो ले लो, नही तो हम इसमें निर्माण करके रहेंगे। जिस पर वादी द्वारा गणमान्य व्यक्तियों को एकत्रित कर प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया। मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नही है। तथा आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति हो जावेगी। इसलिये प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी बावजूद तामील अदालत में उपस्थित नही हुआ, इसलिये उसके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई। वादी को सुना गया, वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये, प्रतिवादी को पाबन्द फरमाने का निवेदन किया, मैने वकील अधिवक्ता की बहस तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन किया, ख0नं0 4231/838 रकबा 0.02है0 वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है। इसलिये वादी का दावा डिक्री होने योग्य प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबंद जाता है कि आराजी ख0नं0 4231/838 रकबा 0.02है तास निसूरा तह टोडाभीम वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे, वादी को बेदखल नही करे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे-तयूक वादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उपरोक्तानुसार वर्ग डिक्री जारी हो।

उपजिला मजिस्ट्रेट
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner